संख्या-26 / 2021/।/91747/2021/71-4099/692//2021-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 26 अगस्त, 2021

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 72/2018/1251/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 46328.29 लाख तथा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में विभाग स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 7398.16 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की कुल लागत रू0 53726.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 39562.62 लाख निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14.08.2014	1500.00
2	6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20.11.2014	315.00
3	26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17.03.2015	993.51
4	33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25.03.2015	208.64
5	90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02.11.2015	63200.00
6	91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02.11.2015	1327.00
7	51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30.03.2016	441.71
8	52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30.03.2016	9276.00
9	94/2016/2731/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11.07.2016	12400.00
10	95/2016/2814/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 11.07.2016	2600.00
11	31/2017/836/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23.03.2017	10519.60
12	32/2017/892/71-2-17-एस-20/2013 दिनांक 23.03.2017	344.40
13	71/2018/1250/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018	1330.00
14	72/2018/1251/71-2-18-एस-20/2013 दिनांक 28.03.2018	1170.00
	योग	39562.62

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या 31-से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 800.00 लाख (रूपये आठ सौ लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0एव में नहीं रखा जायेगा।
2. परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3. परियोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति की होगी।
5. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-03-2221 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

4 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-2022 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लेखाशीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-अयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5 यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/10-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार , (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी,इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. प्रबन्ध निदेशक, परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in